

1- निम्नलिखित वर्ग के न्यूनतम वेतन निर्धारणों के तहत भी आपूर्ति के लिए

निम्नलिखित विभाग के निम्नलिखित वर्ग के संकल्प सं० 2/एम/50-01/95-11 दिनांक 29/11/95 के अन्तर्गत विभागीय निदेश-2 परिशिष्ट-5 के अन्तर्गत निदेश संख्या के तहत न्यूनतम वेतन निर्धारणों के अन्तर्गत वेतनमान ₹0 480/- के अन्तर्गत और जो न्यूनतम वेतनमान में समाहित है कि पर्यथा पित है तथा जिन्हें तत्काल वर्ग में शामिल किया है, को न्यूनतम वेतन टैबल में वर्गीकृत किया है।

निम्नलिखित विभाग के संकल्प संख्या 2/एम/50 57/88/आ8वि0 दिनांक 23/11/95 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी न्यूनतम वेतन निर्धारण के अन्तर्गत परीक्षा प्राप्त करने वाले प्रोत्साहित, अनुसूचित वर्ग के उच्च शिक्षित आदि के अन्तर्गत ₹0 480/- के अन्तर्गत वेतनमानों का तात्पर्य है, परन्तु उनके वर्गीकृत तथा कार्य प्रवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है तो उन्हें भी निर्धारित मापदण्ड के अनुसार आदी की वर्गीकृत अनुमान्य होगी।

2- निम्नलिखित वर्गों में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुसूचा के प्राविक में निम्नलिखित पद न्यूनतम वेतन निर्धारणों के हैं :- जिन्हें निर्धारित मापदण्ड के अनुसार वर्गीकृत किया है:

	पद का नाम	वेतनमान
I.	अनुसर, मसि 18 मसि 19/10/1 मोटर लंब खलापी/रमोईया/माडूकण/ चुणोयाया वाहक तथा लेखक	₹0 350-425/-
II.	डेप्युटी एग्जिक्यूटिव, कोषागार सरकार- अध्यापक	₹0 375- 480/-
3.	वर्गों का निर्धारित मापदण्ड :- एक 1 इन्च कालोन	

18 इन्च कालोन के लिए दो आदी फ्लैट एवं दो आदी फूल बर्ट तथा एक रोपी प्रति दो वर्ष पर।

12 इन्च कालोन के लिए दो आदी साड़ी उजला रंग काला या लाल बोर्डर एवं दो आदी ब्लाउज उजला या काला रंग प्रति दो वर्ष पर।

अन्य शीत कालोन

निम्नलिखित विभाग के पत्र सं० 2/एम/40-7/90-3175 दिनांक 16-6-1990 के अनुसार उन्हें एक उनी फूल स्पेट, एक कोट एवं एक टोपी शीत कालोन वर्गों के अन्तर्गत प्रति चार वर्ष पर देना है जिसका मिलान महिला निर्धारित मूल्य 621/-188: ही इन्चोत स्पेट मात्र है। निम्नलिखित विभाग के संकल्प संख्या 2/एम/40 40-57/88-433 दिनांक 24-1-1999 के तहत महिला न्यूनतम वेतन निर्धारणों को न्यूनतम वेतन निर्धारणों की तरह प्रत्येक चार वर्ष पर न्यूनतम वेतनमान में न्यूनतम वेतन स्पेट तथा एक उनी अथवा शीत कालोन वर्गों के अन्तर्गत आपूर्ति की जाएगी।

4- निम्नलिखित वर्गों में आपूर्ति होती है :-

निम्नलिखित विभाग के पत्र संख्या 2/एम/40 40-57/88-433 दिनांक 24-1-1999 के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन निर्धारणों के अन्तर्गत आपूर्ति की जाएगी। शीत कालोन पूरा वर्गों के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन निर्धारणों के अन्तर्गत आपूर्ति की जाएगी।

महिला शीत कालीन पहरे का एक बड़ी प्रारम्भिक संघ एवं ताल इन्को के लोडिंग प्रारम्भिक संघों में से चुना जा रहा है।

सभी आरक्षी अधीक्षक/सप्लाइंग/प्राचार्य प्रशिक्षण संस्थान/सोमोटीओ/विद्यार्थी परिषद/कल्याण को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने अधिनस्थ सुनिश्चित कर्मचारियों के लिए निर्धारित वर्दी का एक वित्तीय निष्ठावली सं-2 परिशिष्ट-5/ए. नियम 24/1955 के तहत करें। वर्दी क्रय करने के पूर्व सोमोटीओ/प्रशासन से जांच होने वाली राशि का आवंटन सुनिश्चित करा है।

वित्तीय उपबंध :- वर्दी वर्गीय कर्मचारियों के वर्दी पर होने वाली लागत की निष्ठा "2055 पुस्तिका के अन्तर्गत संबंधित शीर्ष के सामग्री एवं पूर्णियों पर से सम्बन्धित व्यय पट्टा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार अनिश्चित राशि के उपबंध के लिए सोमोटीओ/प्रशासन द्वारा कारवाही की जायेगी।

संश्लेषण को एक प्रति महाविद्यालय, विहार, रौंचो/पटना को दो भागों में

अनुत्तर:- सभी प्रशासनिक कार्यों की प्रतिलिपि।

अ. कुमार चौधरी
महा निदेशक एवं आरक्षी महा निरीक्षक,
विहार, पटना।
/अपूर्ति.

क्रमांक 382
70-1-8-82

महा निदेशक एवं आरक्षी महा निरीक्षक कार्यालय, विहार।

पटना, दिनांक 29 जनवरी, 1982।

प्रतिलिपि:-

1- सभी आरक्षी अधीक्षक/रेल विभा महिला सहित/सप्लाइंग/प्राचार्य/सोमोटीओ/विद्यार्थी परिषद/कल्याण केन्द्र पटना एवं माता भवन प्रशिक्षण केन्द्र जगदीपुर आरक्षी अधीक्षक/विशेष माता/आरक्षी अधीक्षक/सप्लाइंग/सोमोटीओ/कल्याण/सोमोटीओ/विद्यार्थी/सोमोटीओ/विद्यार्थी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

2- सभी क्षेत्रीय उप-महानिरीक्षक/सभी मैत्रीय उप-महानिरीक्षक/उप-महानिरीक्षक/उप-महानिरीक्षक, विद्यार्थी/अपराध अनुसंधान विभाग/उप-महानिरीक्षक/पटना एवं उप-महानिरीक्षक, रेल, विहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

3- सभी क्षेत्रीय महा निरीक्षक/महानिरीक्षक, सप्लाइंग/विद्यार्थी, अपराध अनुसंधान विभाग/विशेष माता/महानिरीक्षक, तकनोकी सेवा में महानिरीक्षक, रेल को सूचनार्थ प्रेषित।

4- महाविद्यालय/विहार, विन्, रौंचो/महा विद्यालय/विहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

5- महिला, क्षेत्रीय कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

6- आरक्षी महा निरीक्षक के सहायक/प्रशासन/विहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

7- आरक्षी महा अधिकारी, पी-2 को पुस्तिका पत्र में प्रकाशित की है।

8- उप-महानिरीक्षक, विहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

9- उप-महानिरीक्षक, विद्यार्थी, विहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

महा निदेशक एवं आरक्षी महा निरीक्षक,
विहार, पटना।